भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3200**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**लावारिस बच्चों का कल्याण**

**3200. श्री दर्शन सिंह यादवः**

**श्रीमती रजनी पाटिलः**

**श्री पि॰ भट्टाचार्यः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में लावारिस बच्चों की दुर्दशा के प्रति जागरुक है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में लावारिस बच्चों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध है; और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक कल्याण हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : किशोर न्याय (बाल देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे जे एक्ट) की धारा 2(14) (ii) के अनुसार ऐसे बालक, जो वर्तमान समय में प्रवर्तित श्रम कानूनों के प्रतिकूल कार्य करता पाया जाता है अथवा भीख मांगता पाया जाता है अथवा गली-कूचों में रह रहा है, को अन्य बालकों के साथ “देख्र-रेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालक” के रूप में शामिल किया जाता है। अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। तथापि, केंद्र सरकार समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस), अब बाल संरक्षण सेवाएं, का प्रबंध कर रहा है और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को साझा पैटर्न पर अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में बच्चों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण करने, विभिन्न प्रकार की बाल देख-रेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्कीम के तहत बाल देख-रेख संस्थाओं (सीसीआई) के माध्यम से पुनर्वास के रूप में संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। इन बाल देख-रेख संस्थाओं (सीसीआई) में या तो संस्था के भीतर अथवा बाहर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत बालकों को आयुवार उचित शिक्षा सरकार अथवा सिविल सोसायटी की अन्य स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। गैर-संस्थागत देख-रेख घटक के तहत दत्तक-ग्रहण, धात्री देख-रेख और प्रायोजकत्व के लिए सहायता प्रदान की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में गली-कूचों में बालकों की संख्या के बारे में कोई आंकडा नहीं रखता है।

\*\*\*\*\*